



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या:- 189/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 12 अक्टूबर, 2023

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021, गणित (MATHEMATICS) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 27 जून, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 12 जुलाई, 2023 तक समय प्रदान किया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का अनुभाग स्तर पर परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण निम्नानुसार किया गया है:-

क्र०	अनु०	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1	518905	<ol style="list-style-type: none">अभ्यर्थी से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मान्य एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय गणना के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी EWS श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी आख्या/प्रमाण पत्र वांछित था जिसके सापेक्ष प्रत्यावेदन के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिलेख के साथ जो EWS का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है वह 2021-22 की औसत आय के आधार पर वर्ष 2022-23 हेतु मान्य प्रमाण पत्र है, जो कि वैध तिथि का न होने के कारण मान्य नहीं है।अभ्यर्थी के अवार्ड से सम्बन्धित दावे के सापेक्ष विषय-विशेषज्ञों द्वारा अवार्ड श्रेणी में 02 के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये गये हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी कट-ऑफ में स्थान धारित नहीं कर पाया है। प्रत्यावेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड श्रेणी के सापेक्ष कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है।अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ उपलब्ध कराये गये Online non-credit course Certificate तथा Utility model specification publication in the Patent Gazette मान्य अभिलेख न होने के कारण विचारणीय नहीं है।EWS प्रमाण पत्र एवं अवार्ड से सम्बन्धित वैध अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0परीक्षा समिति द्वारा

				अभ्यर्थी की अनर्हता के अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अंतिम रूप से साक्षात्कार हेतु अनर्ह किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2	518802	518854	518952	01. अभ्यर्थियों द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 27 जून, 2023 के क्रम में वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 12 जुलाई, 2023 तक कोई वांछित अभिलेख/सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण मा0 आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया गया है।
	519081	519099	519106	
	519244	519298	519332	
	519367	519384	519499	
	519531	519665	519569	
	519629	519643	519821	
	519992			

-SD-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।